

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून में दिनांक 24.06.2013 को कृषि विभाग में कार्यरत वरिष्ठ सहायक की पदोन्नति प्रधान सहायक के रिक्त पदों पर पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन- 4200 में करने हेतु विभागीय चयन समिति का कार्यवृत्त।

स्थान :- कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
दिनांक :- 24.06.2013
समय :- 11.00 बजे पूर्वान्ह।

उपस्थिति:-

सी0एस0 मेहरा, कृषि निदेशक उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष
डॉ0 परमाराम, संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
डॉ0 अजय कुमार शर्मा, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड।	सदस्य
श्रीमती ज्योति एस0 कुमार, उप कृषि निदेशक, (मा0सं0 एवं प्रशि0) कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य
श्री एम0 एल0 आर्य0, लेखाधिकारी कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।	सदस्य

उत्तर प्रदेश सरकार कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 1312/91-टी0सी0/कार्मिक-1/1991 दिनांक 20.03.1991 की अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकार सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 के परिपेक्ष्य में अपर निदेशक कृषि एवं भूमि संरक्षण पौड़ी के पत्रांक 4934 दिनांक 09.01.1992 द्वारा जारी कनिष्ठ सहायकों की ज्येष्ठता सूची के अनुसार मुख्य सहायकों की पदोन्नति रिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4600 में किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1455/कार्मिक-2/2001 दिनांक 31.08.2001 एवं उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी0सी0 देहरादून दिनांक 05 सितम्बर 2012 के द्वारा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001 की धारा 3(7) के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या-45(S/B)/2011 विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2012 के द्वारा उक्त अधिनियम में प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था से सम्बन्धित धारा 3(7) को दिनांक 10 जुलाई 2012 से अपास्त कर दिया गया है, के फलस्वरूप रिक्त पदों पर सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति का प्रस्ताव प्रस्तावित है।


1. शासनादेश संख्या- 1164/XIII-1(41)2002 दिनांक 24.01.2010 के द्वारा ^{प्रधान सहायक} प्रशासनिक अधिकारियों के कुल	
स्वीकृत पद -	49
2. कार्यरत पद -	21
3. रिक्त पद -	28

उपरोक्त रिक्तियों की पात्रता सूची का अवलोकन किया गया तथा ज्येष्ठता सूची से मिलान किया गया। उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-170/XXX(2)/2011 दिनांक 01.06.2011 तथा उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-479/XXX(2)/2009-3(1)/2007 दिनांक 08.07.2009 के द्वारा प्रख्यापित ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति नियमावली 2013 के प्रस्तर-3 के अनुसार पात्र कार्मिकों की विगत 05 वर्षों की चरित्र प्रविष्टियों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार कर उपयुक्त वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति प्रधान सहायक पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4200 के रिक्त पद पर करने की संस्तुति की जाती है।


(Handwritten signatures and initials)

क्र० सं०	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	कर्मचारी का नाम	अभ्युक्ति
01	193 ए	श्री राकेश कुमार	उपयुक्त।
02	215 ए	श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव	उपयुक्त।


राज्य परामर्श समिति के अन्तिम आवंटन के द्वारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिये तीन कार्यालय अधीक्षक (पुराने वेतनमान 5000-8000) आवंटित किये गये तथा इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से 20 वरिष्ठ सहायक (पुराना वेतनमान 4000-6000) उत्तराखण्ड के लिये आवंटित किये गये हैं। परन्तु आवंटित कर्मचारियों में से किसी ने भी अभी तक योगदान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड को आवंटित उपरोक्त कर्मिकों के द्वारा योगदान किये जाने पर विभाग में कार्यरत कनिष्ठ सहायक/प्रवर सहायक की ज्येष्ठता पुनः निर्धारित किये जाने एवं ज्येष्ठता उपयुक्तता के अनुसार पदोन्नतियों पर पुनर्विचार किये जाने की शर्त पर इनकी पदोन्नति इस प्रतिबन्ध के साथ वरिष्ठ सहायक के पद से प्रधान सहायक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4200 में किये जाने की संस्तुति की जाती है कि यदि उ०प्र० से उत्तराखण्ड को आवंटित कर्मिकों द्वारा योगदान किये जाने के उपरान्त यदि वे ज्येष्ठ पाये जाते हैं तो उक्त कर्मिकों को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने की संस्तुति की जाती है। इन कर्मिकों की पदोन्नति उ०प्र० एवं उत्तराखण्ड के मध्य होने वाले आवंटन के अधीन होगी।


(एम० एल० आर्य)
लेखाधिकारी
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड
सदस्य


(श्रीमती ज्योति एस० कुमार)
उ०कृ०नि०(सं० सं० एवं प्रशि०)
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड
सदस्य


(डा० अजय कुमार शर्मा)
सं०कृ०नि० (सांख्यिकी)
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड
सदस्य


(डा० राम)
सं०कृ०नि०(गुण० निय०)
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड
सदस्य


(सी०एस० मेहरा)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड
अध्यक्ष

29/6/13

आदेश

कृषि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 1164 /XIII-1/2010-1(41)2002 दिनांक 24-11-2010 एवं शासन के पत्र संख्या-1270/XIII-1/2010-1(41)2002 दिनांक 23.12.2010 के द्वारा सृजित प्रशासनिक अधिकारी पदों को भरने की व्यवस्था लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2013 में दी गयी संस्तुति के आधार पर श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की की पदोन्नति प्रधान सहायक के पद पर वेतन बैंड ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹4200 में निम्न प्रतिबन्धों के साथ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की के अधीन रिक्त पद पर की जाती है।

श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक की प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। यदि श्री राकेश कुमार, से ज्येष्ठ कोई कार्मिक उत्तराखण्ड में योगदान करता है तो श्री राकेश कुमार, को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक के द्वारा आदेश निर्गत होने के 1 माह के अर्न्तगत योगदान न किये जाने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उसके बाद उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति कर दी जाएगी।

पदोन्नति पर न जाने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की को निर्देशित किया जाता है कि वह श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक को अपने अधिष्ठान में योगदान कराना सुनिश्चित करें।

(ज्योति एस0 कुमार)

उप कृषि निदेशक

मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण

कृषि निदेशालय

उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून।

पत्रांक- कृ0नि0/ 2255 /स्था0/लि0सं0/पदो0 प्र0 अ0/2013-14 दिनांक 29/6/2013।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री राकेश कुमार, प्रधान सहायक द्वारा कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रुड़की।
2. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुड़की को इस निर्देश के साथ कि वे श्री राकेश कुमार, के द्वारा प्रधान सहायक के पद पर योगदान की सूचना से निदेशालय को शीघ्र अवगत करायें।
3. मुख्य कृषि अधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य कोषाधिकारी, रुड़की/हरिद्वार।
5. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक,
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

कृषि निदेशालय

उत्तराखण्ड।

आदेश

कृषि सचिव, उत्तराखण्ड शासन, कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 1164 /XIII-1/2010-1(41)2002 दिनांक 24-11-2010 एवं शासन के पत्र संख्या-1270/XIII-1/2010-1(41)2002 दिनांक 23.12.2010 के द्वारा सृजित प्रशासनिक अधिकारी पदों को भरने की व्यवस्था लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1983 के प्राविधानानुसार विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 24.06.2013 में दी गयी संस्तुति के आधार पर श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पदोन्नति प्रधान सहायक के पद पर वेतन बैंड ₹ 9300-34800 ग्रेड वेतन ₹4200 में निम्न प्रतिबन्धों के साथ कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के अधीन रिक्त पद पर की जाती है।

श्री श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक की प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के कर्मचारियों के अन्तिम आवंटन के अधीन होगी। यदि श्री श्रीवास्तव, से ज्येष्ठ कोई कार्मिक उत्तराखण्ड में योगदान करता है तो श्री श्रीवास्तव, को उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक के द्वारा आदेश निर्गत होने के 1 माह के अर्न्तगत योगदान न किये जाने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा उसके बाद उनसे कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति कर दी जाएगी।

पदोन्नति पर न जाने हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अर्न्तगत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक को कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि वे प्रधान सहायक के रिक्त पद पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(ज्योति एस0 कुमार)
उप कृषि निदेशक,
मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांक- कृ0नि0/ 2256 /स्था0/लि0सं0/पदो0 प्र0 अ0/2013-14 दिनांक 29/12/2013।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक को अनुपालनार्थ।
2. प्रशासनिक अधिकारी कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड (स्थापना अनुभाग), देहरादून को इस निर्देश के साथ कि वे श्री श्रीवास्तव की योगदान आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. गार्ड पत्रावली।

उप कृषि निदेशक
(मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)
कृषि निदेशालय
उत्तराखण्ड।